वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

(Formerly Uttakhand Technical University Established By Act no 415/2005 by Uttarakhand Gvoenment)

Chakrata Road P.O. Chandanwadi, Premnagar suddhowal, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel. No. 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक–403 /VMSBUTU/2025 **महत्वपूर्ण** दिनाँक: 15,मई,2025

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध एवं परिसर संस्थान,
वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– **प्रायोगिक परीक्षाओं के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि कतिपय संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैनात किये जा रहे वाह्य परीक्षकों को संदर्भित परीक्षा के समाप्ति के तत्काल बाद संस्था स्तर से पारिश्रमिक भुगतान किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस कम में संस्थाओं के अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक संस्था में अनुमन्य दरों पर परीक्षा आवेदन करने वाली संस्था के छात्रों की संख्या के आधार पर पारिश्रमिक परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था को उनके द्वारा लिखित अनुरोध जिस हेतु UMS Portal पर Practical Examination Remuneration Bill परीक्षा आवेदन के आधार पर विवरण सहित उपलब्ध है, की संस्था स्तर से पुष्टि करने के बाद संस्था निदेशक के हस्ताक्षरोपरान्त इसकी Scanned प्रति UMS पर अपलोड करते हुए मूल हस्ताक्षर की प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर अनुमन्य पारिश्रमिक प्राप्त किये जाने का विकल्प प्रारम्भ किया गया है। यहां यह कहना समीचीन होगा कि यात्रा भत्ता अंश के पूर्व निर्धारण योग्य न होने के कारण इसका भुगतान संस्था स्तर से विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य TA दरों पर भुगतान करते हुए इसकी प्रतिपूर्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत समायोजन में की जाने वाली मांग के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक संस्था को प्रायोगिक परीक्षाओं को सम्पन्न कराने वाले विश्वविद्यालय द्वारा तैनात वाह्य परीक्षकों को विश्वविद्यालय दरों पर अनुमन्यता अनुसार पारिश्रमिक परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय से प्राप्त धनराशि से दिया जाना अनिवार्य होगा एवं इसकी प्राप्ति रसीद संस्था में संरक्षित रखते हुए एक संस्था द्वारा प्रमाणित प्रति विश्वविद्यालय को परीक्षा समाप्ति के बाद आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी। इस हेतु प्रत्येक वाह्य परीक्षक द्वारा विगत की भाँति अपना Remuneration व TA Bill UMS Portal पर भरा जाना होगा, जिसका भुगतान संस्था स्तर पर संबंधित परीक्षा समाप्ति के बाद किया जायेगा एवं सम्पूर्ण प्रयोगात्मक परीक्षा के उपरान्त वाह्य परीक्षकों को TA के रूप में संस्था स्तर से दी गयी धनराशि एवं विश्वविद्यालय से अवमुक्त पारिश्रमिक धनराशि को संकलित विवरण समायोजन तथा प्रतिपूर्ति हेतु परीक्षा नियत्रंक के कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि संस्था से TA के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि का पारिश्रमिक धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त मांगी गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित संस्था को की जा सके।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं पुनः अवगत होवे कि उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्गत समस्त वाह्य परीक्षकों का सम्पूर्ण (पारिश्रमिक एवं यात्रा भत्ता बिल) भुगतान संस्था स्तर से किया जाना अनिवार्य होगा एवं इस हेतु वाह्य परीक्षकों को UMS Portal पर पारिश्रमिक एवं यात्रा बिल का सम्पूर्ण विवरण भरते हुए संस्था के समक्ष विगत से प्रचलित व्यवस्थानुसार दावा प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी वाह्य परीक्षक को विश्वविद्यालय से सीधे भुगतान नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 वी0के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक

संख्या व दिनांक तदैवः–

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 को मा0 कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 देहरादून को सूचनार्थ।
3. वित्त नियत्रंक, वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 देहरादून को सूचनार्थ।
4. वेबमास्टर, वी0मा0सिं0भ0, यू0टी0यू0 देहरादून को इस निर्देश के साथ कि विश्वविद्यालय से समस्त सम्बद्ध व परिसर संस्थाओं को प्रेषित करें एवं वेबसाइट पर भी अपलोड करें।
5. यू0एम0एस0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

(डॉ0 वी0के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक